



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228741
CG-DL-E-04082021-228741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898]
No. 2898]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

का.आ. 3124(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3897(अ), तारीख 28 अक्टूबर 2020, भारत के राजपत्र सं० 3438 – तारीख 29 अक्टूबर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में “कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही, राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 17 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगा,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला भदोही		राज्य उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
ज्ञानपुर	भिखमापुर	95	00	14	26
		168	00	10	23
		181	00	12	32
		186	00	02	31
		188	00	00	20
		187	00	09	96
		185	00	25	16
ज्ञानपुर	कनकपुर	41	00	10	22
		70	00	15	08
		74	00	03	52
		73	00	11	07
		86	00	00	60
		87	00	01	77
		92	00	04	11
		93	00	04	41
		297	00	02	39
		296	00	01	56
		295	00	00	56
		294	00	01	41
		292	00	03	30
		291	00	04	04
		280	00	05	17
		281	00	04	54
		282	00	02	44
		287	00	00	79
		286	00	02	34
		285	00	00	99
		131	00	03	52
		133	00	01	32
		139	00	02	44
		140	00	00	97
		148	00	04	42
		149	00	00	20
		153	00	00	81

जिला भदोही		राज्य उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		152	00	02	72
		178	00	02	74
		179	00	00	48
		177	00	01	31
		174	00	00	95
		173	00	01	37
		172	00	01	72
		171	00	00	31
ज्ञानपुर	मेढ़ी	115	00	03	41
		114	00	01	70
		10	00	03	15
		11	00	04	58
		17	00	01	87
		13	00	03	52
		12	00	09	15
		113	00	00	89
		108	00	04	44
		107	00	00	34
		72	00	00	20
		73	00	00	33
		74	00	02	85
		75	00	08	27
		106/256	00	00	65
		76	00	08	85
		104	00	07	73
		103	00	07	87
		101	00	20	80
		89	00	01	35

[फा. सं. आर -11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2021

S.O. 3124(E).—Whereas by the notification of The Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 3897 (E) Dated 28 October 2020 published in the Gazette No. 3438 dated 29 October 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline in tehsil Gyanpur, District Bhadohi in the state of Uttar Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 17 January-2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District Bhadohi		State Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Gyanpur	Bhikhamapur	95	00	14	26
		168	00	10	23
		181	00	12	32
		186	00	02	31
		188	00	00	20
		187	00	09	96
		185	00	25	16
Gyanpur	Kanakpur	41	00	10	22
		70	00	15	08
		74	00	03	52
		73	00	11	07
		86	00	00	60
		87	00	01	77
		92	00	04	11
		93	00	04	41
		297	00	02	39
		296	00	01	56
		295	00	00	56
		294	00	01	41
		292	00	03	30
		291	00	04	04
		280	00	05	17
		281	00	04	54
		282	00	02	44
		287	00	00	79
		286	00	02	34

District Bhadohi		State Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
		285	00	00	99
		131	00	03	52
		133	00	01	32
		139	00	02	44
		140	00	00	97
		148	00	04	42
		149	00	00	20
		153	00	00	81
		152	00	02	72
		178	00	02	74
		179	00	00	48
		177	00	01	31
		174	00	00	95
		173	00	01	37
		172	00	01	72
		171	00	00	31
Gyanpur	Medhi	115	00	03	41
		114	00	01	70
		10	00	03	15
		11	00	04	58
		17	00	01	87
		13	00	03	52
		12	00	09	15
		113	00	00	89
		108	00	04	44
		107	00	00	34
		72	00	00	20
		73	00	00	33
		74	00	02	85
		75	00	08	27
		106/256	00	00	65
		76	00	08	85
		104	00	07	73
		103	00	07	87
		101	00	20	80
		89	00	01	35

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.